माध्यमिक शिक्षक भर्ती की आज से शुरू होगी काउंसलिंग

भोपाल | उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मंगलवार से लोक शिक्षक संचालनालय द्वारा माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगा। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार 7 फरवरी तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए मप्र शासन द्वारा लागू 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने अपना स्टेटस अपडेट कर सकेंगे।

हर पन्ने पर स्वयं के तथा गवाहों के साइन जरूरी

वसीयत पर शॉर्टकट वाले नहीं, बल्कि पूरे दस्तखत करना चाहिए। यही नियम गवाहों पर भी लागू होता है। वसीयत पर अपना असली नाम लिखना चाहिए, न कि घर में या दोस्तों में पुकारा जाने वाला उपनाम।

वर्तमान आर्थिक स्थिति और वरीयताओं के अनुसार वसीयत को अपडेट कराते रहना चाहिए। वसीयत बनाने के बाद आपने कोई संपत्ति या शेयर खरीदा है तो तारीख का उल्लेख कर वसीयत अपडेट करना चाहिए। आपने जो वसीयत कराई थी, उससे कई गुना संपत्ति बढ़ने की स्थिति में भी नवीनीकरण जरूरी है। ऐसा भी होता है कि दुर्भाग्य से संपत्ति न रहे, घाटा हो जाए, व्यापार में हानि हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी वसीयत तुरंत अपडेट कराएं। आप जितनी भी बार वसीयत बदलें, हर बार रजिस्टर कराएं। यह उल्लेख जरूर करें कि संपत्ति को मैत्रीपूर्ण तरीके से इच्छानुसार खुशी-खुशी बांटा गया है। वसीयत का निश्चित प्रारूप नहीं है लेकिन धोखाधड़ी, फेरबदल या पृष्ठों की अदला-बदली से बचने के लिए आपको यह जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वसीयत के सभी पृष्ठों को क्रमबद्ध तरीके से संख्याबद्ध किया गया हो और प्रत्येक पृष्ठ पर आपके और गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो।

• **वसीयत के प्रकार** : कानूनी रूप से देखा जाए तो वसीयत दो प्रकार की होती है। पहली विशेषाधिकार युक्त और दूसरी बिना विशेषाधिकार वाली। विशेषाधिकार वाली अनौपचारिक वसीयत होती है जिसे सिपाहियों, वायु सैनिकों, नौ-सैनिकों द्वारा बनाया जाता है। यह लिखित या मौखिक घोषणा पर अल्प समय के नोटिस द्वारा तैयार करवाई जाती है। इसके अलावा, अन्य सभी वसीयतों को विशेषाधिकार रहित वसीयत कहा जाता है, इसमें सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी होता है।

• **मौखिक वसीयत** : कुछ सम्मानित लोगों या गवाहों की उपस्थिति में व्यक्ति मौखिक रूप से घोषणा करता है कि वह परिवार के किस सदस्य को संपत्ति का कितना हिस्सा देना चाहता है। यह मौखिक वसीयत कहलाती है। इसकी ज्यादा अहमियत नहीं होती। (भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम धारा-65 और 66 के तहत सिर्फ सुरक्षा सैनिकों की ही मौखित वसीयत मान्य होगी)।

• **म्यूचुअल वसीयत** : जब दो व्यक्ति एक साथ एक समय में वसीयत बनाते हैं तो इसे म्यूचुअल वसीयत कहते हैं। जैसे कि पति-पत्नी अपनी संपत्ति एक-दूसरे के नाम कर दें। सामान्य वसीयत कई बार बदल सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल वसीयत रजिस्टर होने के बाद बदली नहीं जा सकती।

• **सशर्त या आकस्मिक इच्छा वसीयत** : यह कुछ शर्तों के साथ, अचानक बनाई गई वसीयत होती है। • **होलोग्राफ विल** : इसे वसीयतकर्ता खुद अपने हाथ से लिखकर संपत्ति वितरण का उल्लेख करता है।

• **ऑफिशियल विल** : यह एक अपमानित करवे वाली वसीयत भी कहलाती है। इसमें वसीयत करने वाला अपनी संपत्ति बच्चों, पत्नी और रिश्तेदारों को न देते हुए किसी अजनबी या संस्था के नाम कर देता है।

• **डुप्लिकेट विल** : यह मूल वसीयत की फोटोकॉपी होती है, यानी उसकी नकल।

(अन्य जानकारी के लिए विजिट करें- info.mysabkuch.com)